39

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14327/984 **दिनांकः–** 30.01.2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत रामनगर के वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 09/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,
30/01/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

38

नगर पंचायत रामनगर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–09/12–13
(अवधि– 2007–08 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

रामनगर, नगर पंचायत, जिला–पश्चिम चम्पारण के वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार ले0प0, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.02.2012 से 06.03.2012 की अवधि मे किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	नाम	कार्यावधि
	अध्यक्ष/प्रमुख	
(i)	श्री विजेन्द्र कुमार चौबे	1.04.07 से 13.06.07
(ii)	श्रीमती विद्यावती देवी	14.06.07 से 31.08.09
(iii)	श्री विजेन्द्र कुमार चौबे(उपप्रमुख)	01.09.09 से 28.10.09
(iv)	श्रीमती मुना नेशा	29.10.09 से 31.03.11
	उपाध्यक्ष/उपप्रमुख	
(i)	श्रीमती इन्दु भारती	1.04.07 से 13.06.07
(ii)	श्री विजेन्द्र कुमार चौबे	14.06.07 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री मधुसूदन प्रसाद	1.04.07 से 13.04.07
(ii)	श्री रामरंजन सिंह	17.04.07 से 4.03.09
(iii)	श्री कुमार विनोद	5.03.09 से 3.04.10
(iv)	श्री अजय कुमार	4.04.10 से 31.03.11

3.पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेंदनों के निस्तारण की स्थिति निम्नवत् हैः–

37)

क्र0 सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अवधि	लंबित कंडिकाएँ
(i)	51/1995–96	1986–87 से 1994–95	36
(ii)	57/2001–02	1995–96 से 2000–01	46
(iii)	140/2008–09	2001–02 से 2006–07	44
		कुल योग	126

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 140/08–09 की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन ही अंकेक्षण में समर्पित किया गया।

नगर पंचायत के प्राधिकारी से अनुरोध है कि पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों के शेष कंडिकाओं का अनुपालन समर्पित करने हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाय।

4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में नमूना जाँच किए गए पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I(अ) में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किय गया या अधूरा संधारित था को परिशिष्ट–I(ब) में दर्शाया गया है।

5. लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र0 सं0	विवरण	राशि(₹)	कंडिका
1	अनुदान राशि का अवरोधन	28,87,875.00	10
2	सैरात बंदोबस्ती पर स्टांप शुल्क की वसूली नहीं	1,85,456.00	18
3	कम जमा/नहीं जमा	13,799.00	20
4	बिना लेखापाल जाँच अभिश्रव पारित	3,25,319.00	23

6. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका नियमावली–1928 के नियम 20,30,64,91,92(ए) (i) 102 तथा बिहार नगरपालिका रिकवरी ऑफ टैक्स के नियम 30,37, एवं 39 में पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जाँच के कुछ ऐसे उपबंध है जिससे नगरपालिका लेखाओं के संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। परंतु अभिलेखों

के जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जाँच प्रक्रिया का क्रियान्वयन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप अनेक त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ हुई जिनका विश्लेषण आगे किया गया है। अतः भविष्य में नियमित अंतराल पर **जाँच किया** जाए ताकि अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो तथा त्रुटियों का सुधार किया जा सके।

7. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, रामनगर, मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं ऋण तथा निजी स्रोतों से प्राप्त आय द्वारा वित्त संपोषित था। अंकेक्षण वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक की संक्षिप्त प्राप्तियों एवं व्ययों का सार निम्नवर है:–

क्र0 सं0	विवरण	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1	अथशेष	8645509.71	14204328.33	21510207.23	27787996.23
2	प्राप्ति				
(i)	सरकारी अनुदान	6912386.00	9755847.00	7930172.00	19844741.00
(ii)	सूद	121893.75	388482.00	622660.00	567068.00
(iii)	स्वयं के स्रोतों से आय	2721588.87	1468472.00	4163588.00	5260072.00
(iv)	अन्य	142034.00	9750.00	40150.00	142480.00
3	कुल प्राप्ति(1+2)	18543412.33	25826879.33	34266777.23	53602357.23
4	व्यय				
(i)	योजना	3618006.00	3037386.00	5492639.00	15980030.00
(ii)	स्थापना एवं अन्य Recurring व्यय	406865.00	1245802.10	982490.00	1014769.00
(iii)	विविध/अन्य	314213.00	33484.00	3652.00	1203.00
	कुल व्यय(i+ii+iii)	4339084.00	4316672.00	6478781.00	16996002.00
5	अंतशेष(3–4)	14204328.33	21510207.33	27787996.23	36606355.23

35

रोकड़ अंतशेष

क्र0सं0	खाता विवरणी	खाता नं0	राशि(₹)
1	P/L खाता		8278956.00
2	ग्रामीब बैंक, रामनगर	5091	3315054.50
3	ग्रामीण बैंक, हरिनगर	1306	185915.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भावल	11685538298	4339079.49
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिय, रामनगर	11428237138	5966052.75
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,रामनगर	2359778228	2615791.00
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिय, रामनगर	1322116	1322116.49
8	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,रामनगर	2359801544	10673974.00
		कुल योग	36696939.23

बैंक पास बुक एवं लेखापाल रोकड़ बही का अंतर ₹90584.00 था। इसका समाधान विवरण नहीं बनाया गया था। समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(i) लेखापाल रोकड़ बही में आय–व्यय का पूर्ण विवरण नहीं था।

(ii) शीर्षवार आय एवं व्यय की विवरणी एवं अंतशेष का विश्लेषण ब्यौरा नहीं पाया गया।

8. कई बैंक खातों का संचालन

नगर पंचायत रामनगर द्वारा कोषागार के अलावा 7 बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0सं0	खाता विवरणी	खाता सं0
1	ग्रामीब बैंक, रामनगर	5091
2	ग्रामीण बैंक, हरिनगर	1306
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भावल	11685538298
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिय, रामनगर	11428237138
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,रामनगर	2359778228
6	स्टेट बैंक ऑफ इंडिय, रामनगर	1322116
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,रामनगर	2359801544

लेखाओं के उचित संधारण हेतु कम से कम बैंक खाताओं का संधारण किया जाय।

9. सरकारी अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा **नहीं किया** गया। फलस्वरूप अनुदान की वास्तविक स्थिति यथा वर्ष के प्रारम्भ में अनुदानवार शेष राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त एवं उपयोग की गयी अनुदान की राशि तथा वर्ष के अंत में अनुदानवार शेष राशि नहीं ज्ञात की जा सकी। परन्तु लेखापाल के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक की अवधि में कुल ₹4,44,43,146.00 अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्षवार प्राप्ति की विवरणी निम्नवर है:–

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्ति राशि
1	2007–08	6912386.00
2	2008–09	9755847.00
3	2009–10	7930172.00
4	2010–11	19844741.00
	कुल योग	44443146.00

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–II पर उपलब्ध है। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. प्रशासनिक भवन हेतु अनुदान राशि का अवरोधन

वित्तीय वर्ष 2006–07 में रामनगर, नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 75% अनुदान के रूप में कुल ₹2887875.00 सहाय्य अनुदान की स्वीकृति बिहार सरकार, नगर विकास विभाग के पत्रांक 1398 दिनांक 30.03.2007 द्वारा दी गयी। इस क्रम में नगर पंचायत आवंटन की उक्त राशि सरकारी पत्रांक 1642 दिनांक 17.04.07 (ड्राफ्ट सं0 90742/11.04.07) द्वारा प्राप्त हुआ।

लगभग पाँच साल बीत जाने के बावजूद अभी तक भवन निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि ₹2887875.00 का अवरोधन किया गया। इस संदर्भ में नगर पंचायत द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

चूँकि मानक प्राक्कलन पाँच साल पुराना है। वर्त्तमान समय में मुद्रास्फीति के कारण सामग्री एवं मजदूरी में संभावित वृद्धि के कारण भवन निर्माण पुराने प्राक्कलन पर कराना संभव नहीं होगा।

33

अतः अनुदान राशि का अवरोधन की जिम्मेदारी तय करते हुए राशि का उपयोग करने हेतु प्रभावी एवं आवश्यक कदत उठाए जाए।

11. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा 82 एवं 84 के तहत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट (आय–व्यय का प्राक्कलन) तैयार करेगा जिसे मुख्य पार्षद 15 फरवरी को या यथासंभव शीघ्र नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। नगरपालिक बजट प्राक्कलन एवं सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार कर 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। इस अंगीकृत बजट को नगर पंचायत के मामले में क्षत्रिय उपनिदेशक के पास प्रस्तुत करेगी। जिसे राज्य सरकार आर्थिक सहायत से संबंध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के 31 मार्च को नगरपालिका/नगर पंचायत को लौटा देगी।

परन्तु नगर पंचायत के बजट प्राक्कलन में निम्न विसंगतियाँ पायी गयीः–

(i) बजट प्राक्कलन समयानुसार तैयार नहीं किया गया थाः–

	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
अनुमोदन की तिथि	14.06.07	23.06.08	25.05.09	29.06.11
सरकार को प्रेषण की तिथि	–	26.07.08	–	–

बजट प्राक्कलन राज्य सरकार से अनुमोदित नहीं पाया गया।

(ii) बजट प्राक्कलन में अनुमानित प्राप्ति (स्वयं के स्रोत से एवं राजस्व से) एवं व्यय में वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अनुमान्य सीमा 15% से ज्यादा का अंतर पाया गया।

(विवरण परिशिष्ट–III पर उपलब्ध)

इस हेतु संशोधित बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

आपत्ति उपरांत उत्तर असंतोषप्रद था। अतः प्राधिकारी से अपेक्षा है कि निश्चित समयावधि में बजट एवं संशोधित बजट प्राक्कलन तैयार करवाये एवं बजटीय प्रावधानों के अनुरूप व्यय सुनिश्चित करें।

12. गृहकर माँग एवं वसूली असंधारित एवं बकाया कर (₹90.05 लाख)

गृहकर माँग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं पाया गया। जिससे करों की वास्तविक संग्रह राशि एवं बकाया राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परन्तु अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत विवरणी के आधार पर माँग, संग्रह एवं बकाया के ऑकडों का सार निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	वर्ष	बकाया	हाल	कुल माँग	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकाया माँग राशि	संग्रहण(%)
1	2007–08	503981.92	74300.00	578281.92	87087.00	491194.92	15.06
2	2008–09	491194.92	74300.00	565494.92	32126.00	533368.92	5.68
3	2009–10	2743043.00	2209675.00	4952718.00	144702.00	4808016.00	2.92
4	2010–11	7017691.00	2209675.00	9227366.00	222823.00	9004543.00	2.41

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV में दर्शाया गया है)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) कर वसूली का प्रतिशत मानक 85% से बहुत कम रहा। इसकी वसूली में वृद्धि हेतु कर संग्रहकर्त्ताओं को मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाय। बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाएँ जाय।

(ii) माँग एवं संग्रह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13. हरिनगर सुगर मिल लि0, हरिनगर पर भवन कर बकाया (₹36.28 लाख)

नगर पंचायत रामनगर द्वारा हरिनगर सुगर मिल लि0, हरिनगर के सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण कर ₹18,13,752.00 वार्षिक निर्धारित किया गया था एवं इसकी सूचना सुगर मिल को पत्रांक 231 दिनांक 25.05.09 द्वारा दी गयी थी। इस निर्धारण के विरूद्ध हरिनगर सुगर मिल द्वारा कोई पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं चेक सं0 066302 दिनांक 25.01.11 से ₹1,00,000.00 नगर पंचायत में जमा किया गया था। जिसे नगर पंचायत द्वारा मार्च, 2012 तक आहरित नहीं किया गया था। चेक आहरित नहीं करने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

31)

अतः नगर पंचायत प्राधिकारी से अपेक्षा है कि सुगर मिल से सम्पत्ति कर मद में बकाया राशि 36,27,504.00 (प्रतिवर्ष 1813752 x 2) की वसूली की प्रभावी कार्रवाई की जाय।

14. सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाया कर (₹6.67 लाख)

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी भवनों पर सम्पत्ति कर की बकाया राशि ₹667443.00 थी। विवरणी परिशिष्ट–V में दर्शाया गया है।

बकाया कर की वसूली हेतु यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाय।

15. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी संबंधित शीर्ष में जमा नहीं(₹3.44 लाख)

सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की कुल वसूल राशि में से 10% संग्रह प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90% राशि राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक की अवधि में स्वास्थ्य उपकर के रूप में ₹1,71,991.25 एवं शिक्षा उपकर के रूप में ₹1,71,991.25 संग्रहित किया गया। परंतु इसमें से 10% राशि कर संग्रह प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90% राशि को बिहार सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया। विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	संग्रहित वर्ष	स्वास्थ्य उपकर राशि	शिक्षा उपकर राशि
1	2007–08	43543.75	43543.75
2	2008–09	16062.25	16062.25
3	2009–10	20083.75	20083.75
4	2010–11	111411.50	111411.50
	कुल राशि	191101.25	191101.25
10% संग्रहण प्रभार		19110.00	19110.00
सरकार को देय राशि		171991.25	171991.25

संग्रह प्रभार को छोड़ शेष राशि ₹3,43,982.50 को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।

16. पेशाकर बकाया (₹2.64 लाख)

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा पेशाकर की वसूली वर्ष 2010–11 तक की जानी थी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के आधार पर वर्ष 2010–11 के अंत में अर्थात 31.03.2011 को कुल ₹2,63,700.00 बकाया पेशाकर था।

जिसकी वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय। (विवरणी परिशिष्ट–VI में दर्शाया गया है।)

17. बंदोबस्ती राशि की वसूली नहीं (₹3.26 लाख)

वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 के सैरात बंदोबस्ती अभिलेख के जाँच के क्रम में पाया गया कि कुल ₹3,26,315.00 अंकेक्षण की तिथि तक विभिन्न सफल डाकवक्ताओं के पास बकाया पाया गया। विवरणी निम्नवर है:–

क्र0 सं0	सैरात का नाम	वित्तीय वर्ष	बंदोबस्ती राशि	अब तक जमा	बकाया
1	टैक्सी वाहन पार्किंग वसूली	2007–08	140250.00	124690.00	15560.00
2	व्यवसायिक वाहन पार्किंग वसूली	2008–09	1204755.00	1181000.00	23755.00
3	तथैव	2009–10	1615000.00	1439500.00	175500.00
4	टैक्सी टैम्पों पार्किंग वसूली	2010–11	215000.00	107500.00	107500.00
5	रामनगर मवेशी डाक	2010–11	17400.00	13400.00	4000.00
					326315.00

इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया कि अप्रैल 2012 में बकायादारों के विरूद्ध निलाम पत्र बाद दायर किया जाएगा।

अतः बकाया राशि ₹326315.00 की वसूली हेतु यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।

18. सैरात बंदोबस्ती पर स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं(₹1.85 लाख)

मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक 1920/न0/मु स0 दिनांक 14.08.02 एवं सह सचिव निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के निर्देशों के अनुसार सैरात बंदोबस्ती राशि का 3% के मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा कराने का प्रावधान है। परंतु नगर पंचायत रामनगर में इसका पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को ₹1,85,456.00 राजस्व की हानि हुई। विवरण परिशिष्ट–VII पर

उपलब्ध है। उपरोक्त राशि संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति/अधिकारी से वसूल कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करवाया जाय एवं भविष्य में उचित स्टाम्प शुल्क के पेपर पर ही एकरारनामा करवाया जाय।

19. शिवरात्री मेला (शिवमंदिर प्रागंण) बंदोबस्ती में अनियमितता

शिवरात्री मेला(शिवमंदिर प्रागंण) वर्ष 2010–11 के बंदोबस्ती अभिलेख की नमूना जाँच में पाया गया कि बंदोबस्ती निलामी हेतु सुरक्षित राशि ₹6716.00 निर्धारित कर निलामी के लिए आम सूचना दिनांक 25.01.11 को निकाला गया और दिनांक 8.02.11 को 11 बजे डाक प्रक्रिया कराने का निर्णय लिया गया।

लेकिन इससे आगे की प्रगति का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। परंतु नगर पंचायत द्वारा प्रखंड कार्यालय, रामनगर के रोकड़ बही के एक पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार उपरोक्त सैरात की बंदोबस्ती श्री शभू साह को ₹680.00 में दी गयी और राशि को प्रखंड कार्यालय के कोष में जमा पाया गया।

यह किन परिस्थितियों में हुआ इसे लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण के साथ –साथ उपरोक्त राशि का स्थानांतरण प्रखंड निधि से नगर पंचायत निधि में करने की कार्रवाई कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

20. कम जमा/नहीं जमा (₹0.14 लाख)

विभिन्न प्राप्ति रसीदों के जाँच के क्रम में कुल राशि ₹13779.00 कम जमा पाया गया। उपरोक्त राशि की वसूली अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तियों से कर संबंधित निधि में जमा किया गया। जिसकी विवरणी निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	जमा का विवरण	रसीद सं0	संग्रहित राशि	जमा राशि	बकाया	अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि	अभियुक्ति
1	होल्डिंग कर	23815–23822 24.02.12	5548.00	शून्य	5548.00	5548.00	₹12424.00 A/No.-I-328 उत्तर ग्रामीण बैंक रामनगर में दिनांक 29.02.12 को जमा
2	होल्डिंग कर	23824–23849 27.02.12	6876.00	शून्य	6876.00	6876.00	

3	विविध रिसीट	36901–36942 28.06.11 से 8.09.11	397.00	शून्य	397.00	397.00	₹1275.00 A/No.-I-328 उत्तर ग्रामीण बैंक रामनगर में दिनांक 6.03.12 को जमा
4	विविध रिसीट	36945–37000 8.09.11 से 29.09.11	378.00	शून्य	378.00	378.00	
5	विविध रिसीट	36784–36795 22.10.11 से 24.10.11	3000.00	2500.00	500.00	500.00	
6	पार्किंग फीस(ट्रक/बस)	01–03 22.10.11 से 24.10.11	70.00	शून्य	70.00	70.00	₹80.00 A/No.-I-328 उत्तर ग्रामीण बैंक रामनगर में दिनांक 6.03.12 को जमा
7	अन्य वाहन	01 2.08.08	10.00	शून्य	10.00	10.00	
		कुल	16279.00	2500.00	13779.00	13779.00	

21. एच प्राप्ति रसीद एवं विविध रसीद प्रस्तुत नहीं

नगर पंचायत, रामनगर के वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद बुक अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराए गएः–

क्र0सं0	प्राप्ति विवरणी	रसीद सं0	दिनांक	रसीद निर्गत किए गए कर संग्राहक का नाम
1	एच रसीद	16701–16800	27.04.07	श्री सुलेमान अंसारी
2	एच रसीद	17101–17200	2.05.07	श्री सुलेमान अंसारी
3	एच रसीद	17301–17400	11.06.07	श्री सुलेमान अंसारी
4	एच रसीद	17401–17500	27.08.07	श्री इन्द्रदेव यादव
5	एच रसीद	17501–17600	24.10.07	श्री इन्द्रदेव यादव
6	विविध रसीद	35901–36000	27.06.09	श्री शशिन्द्र श्रेष्ठ
7	विविध रसीद	36001–36100	2.09.09	श्री शशिन्द्र श्रेष्ठ
8	विविध रसीद	36801–36900	20.09.10	श्री शशिन्द्र श्रेष्ठ
9	पथकर विभागीय वसूली रसीद	1001–1300	3.06.08	श्री कृष्णा कुमार नेपाली
10	पथकर विभागीय वसूली रसीद	1301–1500	7.06.08	श्री सुलेमान अंसारी

27

प्राप्ति रसीदों के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से राजस्व के गबन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः कार्यपालक पदाधिकारी उपर्युक्त रसीद बुकों द्वारा संग्रहित राशियों का जमा नगर पंचायत निधि में सुनिश्चित कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित करें।

22. दैनिक मजदूरों पर अप्राधिकृत व्यय(₹13.60 लाख)

बिहार सरकार के पत्रांक सं0 9827 दि0 20.12.76, 7420 दि0 24.11.77, 3520 दि0 2.08.88 तथा 1231 दि0 6.05.92 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी है।

नगर पंचायत के रोकड़ बही एवं अभिश्रव के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 में कुल ₹13,60,284.00 का व्यय दैनिक मजदूरों के भुगतान के लिए किया गया जो सरकार के निर्देशों के विरूद्ध व अप्राधिकृत था। अतः उपरोक्त राशि के व्यय का Ex Post Facto अनुमति सरकार से ली जाय तब तक व्यय की गयी राशि ₹13,60,284.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(विवरणी परिशिष्ट–VIII पर दर्शाया गया है।)

23. लेखापाल के द्वारा जाँच किये बिना ही अभिश्रव पारित (₹3.25 लाख)

बिहार म्यूनिसिपल लेखा नियमावली 1928 के नियम 30 के अनुसार, 'Every Bill or other claim for payment shall be presented in the first instance to the Accounted who shall check and examine it, and if found to be correct and in order, initial it in taken of correctness and submit it for orders to the chairman or Vice-Chairman.'

परंतु अभिश्रव जाँच के क्रम में पाया गया कि कुल ₹3,25,319.00 का अभिश्रव कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिना लेखापाल के हस्ताक्षर। प्रारंभिक जाँच के पारित किया गया। इसका कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(विवरणी परिशिष्ट–IX में दर्शाया गया है।)

उपरोक्त नियम के अनुपालन नहीं होने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मिलने तक व्यय की गयी राशि ₹3,25,319.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

24. स्वीकृत कार्यबल

रामनगर नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत में 9 स्वीकृत कार्यबल के विरूद्ध 5 कर्चचारी कार्यरत थे एवं 4 पद रिक्त थे। (विवरणी परिशिष्ट–X पर दर्शाया गया है।)

आपत्ति उपरांत उत्तर दिया गया कि सरकार के नगर निकास विभाग के आदेश पत्रांक 3939 दिनांक 20.11.99 द्वारा स्थानीय निकायों में नियुक्ति पर रोक लगायी गयी है। सरकारी प्रतिबंध हटने पर ही रिक्त पदों पर नियुक्ति संभव है।

25. विलंब से कार्यान्वित योजना में क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं (₹0.88 लाख)

योजना सं0	01/08–09 (पि0 क्षे0 नि0 आ0 निधि) में अनियमितता
योजना का नाम	हरिहर चौरसिया के घर से चंपारण क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक तक नाला मरम्मति एवं क्षेत्रीय बैंक से भुनेश्वर चौक होते हुए पूरब में रामरेखा नदी तक नाला एवं आर सी सी स्लैब निर्माण
तकनीकि स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता (एन0 ई0 आर0 पी0) दिनांक 11.02.09
प्रशासनिक स्वीकृति	उ0 वि0 आयुक्त, पं0 चम्पारण दिनांक 17.02.09
निविदा की तिथि(प्रकाशन/सूचना)	01.06.09
निविदा खोलने की तिथि	13.06.09 3 बजें अ0 तकनीकि 4 बजे अ0 वित्तीय
प्रा0 राशि	₹879000.00
डाक की राशि	अनुसूचित दर से 4% नीचे ₹843840.00
एकरारनामा एवं कार्यादेश की तिथि	08.08.2009
कार्य समाप्ति की संशोधित तिथि	29.10.2009
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	15.01.2010
कुल भुगतान राशि	₹844178.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) निविदा का प्रथम प्रकाशन/सूचना दिनांक 17.02.09 को किया गया था जिसमें निविदा खोलने की तिथि 26.02.09 थी तथा दो निविदाएँ अनुसूचित दर से 10% एवं 15% नीचे प्राप्त हुई थी। परंतु अनुसूचित दर से 15% से कम की निवेदित दर अमान्य होने की शर्त को निविदा के नोटिस में स्पष्ट नहीं करने के कारण

निविदा को दिनांक 21.05.09 को रद्द कर दिया गया। तदुपरांत पुनर्निविदा किये जाने पर अनुसूचित दर से 4% कम पर कार्य आवंटित किया गया।

इस प्रकार यथासमय पर्यवेक्षण/निगरानी के अभाव में नगर पंचायत कार्य के लिए संभावित कम दर प्राप्त करने में विफल रहा।

(ii) कार्य समाप्ति की मूल निर्धारित तिथि 08.09.2009 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.09 तक बढाई गयी थी। परंतु मापी पुस्त के अनुसार कार्य दिनांक 15.01.10 को संपन्न किया गया।

कार्य को विलंब से सम्पन्न करने के कारण एकरारनामे के अनुसार प्राक्कलित राशि की 10% राशि ₹87,900.00 को क्षतिपूर्ति के तौर पर कटौती किए बिना संवेदक को भुगतान कर दिया गया।

अतः क्षतिपूर्ति की राशि ₹87,900.00 की वसूली संवेदक/जिम्मेवार अधिकारि(यों) से की जाय एवं अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

26. निरस्त

27. श्रम उपकर की कटौती नहीं (₹2.78 लाख)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक सं0 39 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों के कुल व्यय का 1% की कटौती करने के उपरांत ही अभिकर्त्ता को भुगतान किया जाना चाहिए। परंतु नगर पंचायत रामनगर द्वारा वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी। संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	मद का नाम	कुल व्यय(₹)	1% श्रम सेस(₹)
1	B.R.G.F	79,07,995.00	79,080.00
2	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	1,99,09,385.00	1,99,094.00
			2,78,174.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–XI पर उपलब्ध)

विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप राशि ' भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड' को नहीं भेजी जा सकी। श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को

अवगत नहीं कराया गया। इसका कारण अगले लेखा परीक्षा में अवगत कराया जाय एवं भविष्य में प्राक्कलन बनाते समय श्रम उपकर का प्रावधान सुनिश्चित किया जाये।

28. अग्रिम पंजी असंधारित

अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 31.03.2011 को अग्रिम बकाया की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। परंतु रोकड़ बही के अनुसार अंकेक्षण अवधि में ₹1,79,262.00 का अग्रिम विभिन्न अग्रिमधारकों के पास लंबित पाया गया। लेखा परीक्षा आपत्ति के उपरांत उत्तर दिया गया कि ₹1,79,262.00 में से ₹1,75,000.00 गृह निर्माण अग्रिम की वसूली संबंधित कर्मियो के वेतन से किया जा रहा है।

शेष अग्रिम राशि की वसूली/समायोजन के लिए कदम उठाए जाये, तथा अग्रिम पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

(विवरणी परिशिष्ट–XII पर उपलब्ध)

29. अभिश्रव प्रस्तुत नहीं (₹0.30 लाख)

रामनगर नगर पंचायत के वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अवधियों की अभिश्रव जाँच की गयी:–

1. 1.04.08 से 30.05.08
2. 1.06.09 से 30.07.09
3. 1.04.10 से 30.08.10

उपरोक्त अवधि के अभिश्रवों मे से कुल ₹30,429.70 का अभिश्रव अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं किया गया। विवरणी परिशिष्ट–XIII पर उपलब्ध है। जिससे उसके सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

उपरोक्त अभिश्रवों को अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय तब तक व्यय की गयी राशि ₹30,429.70 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

30. **कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप**

अंकेक्षण में उठायी गयी आपत्तियों के संबंध में समय–समय पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार विमर्श किया गया।

31. **अंकेक्षण का परिणाम**

क्र0सं0		राशि(₹)
1	अंकेक्षण के क्रम में जमा की गयी राशि	13,779.00
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	5,99,671.00
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	17,16,032.70

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–XIV पर)

32. **सामान्य अभियुक्ति**

नगर पंचायत रामनगर के लेखाओं का संधारण भली–भाँति नहीं किया गया था। उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। संग्रह लेखाओं पर सत्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु नगरपालिका अधिनियम के आलोक में करों की वसूली हेतु विधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार के नियमानुसार करों की कटौती की जाये। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सत्त जाँच की जाए जिससे अनियमितताओं पर कड़ी नजर रखी जा सके। आंतरिक जाँच का प्रावधान प्रभाव में लाया जाए।

–हस्ता0–

विमलेश आर0 एस0 पी0 भारती

(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

संo एलo एo/एसo एसo–1/ शo स्थाo निo/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनों के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

ह0/–
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

संo एलo एo/एसo एसo–1/ शo स्थाo निo/ 14327/984 दिनांकः– 30.01.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव, बिहार सरकार,नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना

(ii) जिलाधिकारी, प0 चम्पारण

30/01/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट I (अ)

अंकेक्षण में जाँच किए गए अभिलेखों की सूची :

1. रोकड़ बही (लेखापाल)
2. पास बुक
3. एच रसीद
4. विविध रसीद
5. योजना संचिका (आंशिक)
6. अभिश्रव (आंशिक)
6. बजट
7. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन
8. बंदोबस्ती अभिलेख
9. स्वीकृत कार्यक्रम संचिका
10. स्टाक रजिस्टर
11. पी-एल खाता
12. दैनिक संग्रह पंजी

Vimlen
A/AO(P)

परिशिष्ट [I(बी)] - I-(ब) (अ) 20

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/संधारित नहीं किए अभिलेख

1. योजना पंजी
2. अमीन पंजी
3. भंडार पंजी
4. मोबाइल यादर अभिलेख
5. वार्षिक लेखा
6. सरकारी भवन एकाम अभिलेख
7. गृहकर एससमेन्ट रजिस्टर
8. सम्पत्ति रजिस्टर
9. सर्विस बुक
10. मांग एवं वसूली पंजी (गृह कर)
11. पेशाकर रसीद
12. अनुदान पंजी
13. सेवा पुस्तिका
14. स्टूट रजिस्टर
15. सम्पत्ति पंजी
16. वारंट पंजी
17. योजना अभिलेख (आंशिक)
18. बैंक पंजी
19. पेशाकर रसीद की दैनिक संग्रह पंजी
20. जमाबंदी रजिस्टर

Vimlesh
AAOCP

परिशिष्ट II

(कंडिका - 9 के संदर्भ में)

सरकारी अनुदान

2007-2008

क्रमसं०	प्राप्ति की तिथि	स्वीकृती पत्र क्रमांक / तारिख	राशि	मद / उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	11.05.07	45/19.01.07	28250	आर्थिक गणना
2.	31.05.07	1642/17.04.07	2887875	प्रशासनिक भवन निर्माण
3.	11.06.07	—	10,000	नगर पंचायत निर्वाचन
4.	01.01.08	1028/न.वि. एवं अ.वि./18.12.07	39549	B.P.L सर्वेक्षण
5.	31.03.08	5264/NVHD 26.11.07	316764	वेतन भत्ता
6.	31.03.08	5674/NVHD 19.12.07	1320523	12th F.C
7.	31.03.08	856/21.02.08	1460960	चापाकल
8.	31.03.08	125/NVHD	848,465	S.J.S.RY
			6912386.00	
	2008-09			
9.	06.05.08	1711/29.03.08	35144	MLC फण्ड से चापाकल
10.	16.06.08	1536/NVHD 25.03.08	719800	मैचिंग ग्रान्ट
17.	16.06.08	1617/NVHD 27.03.08	6,60263	12th F.C
18.	27.06.08	171/18.04.08	2326000	BRGF
19.	14.08.08	735/28.07.08	21300	पशु गणना
20.	25.03.09	04/14.02.09	32000	नगर निर्वाचन
21.	31.03.09	4622/NVHD 04.09.08	279280	वेतन भत्ता
22.	31.03.09	08/NVHD 9/03/09	17,95,800	पथ निर्माण/ जीर्णोद्धार
23.	31.03.09	280/प.पा. 20.03.09	90100	पशु गणना
24.	31.03.09		1,50,000	कबीर अंत्येष्टि
24(A)	31.03.09	05/NVHD 9.2.09	3560760	पोखर घाट सामुदायिक भवन निर्माण
24(B)	31.03.09	4535/NVHD 29.08.08	83400	नगर पार्षद भत्ता
			16668233=00	

Vimlesh PA(08)

सरकारी अनुदान
2009-10

क्रमसं.	प्राप्ति की तिथि	स्वीकृति पत्र क्रमांक दिनांक	राशि B/F= 1,66,68,233=	मद/उद्देश्य
25.	21.07.09	239/मु.मं. 15.06.09	120000	मुख्य मंत्री नगर विकास योजना
26.	14.08.09	08/18.06.09	258431	BRGF
27.	15.08.09	11/15.07.09	1518452	तदैव
28.	28.08.09	—	245600	कबीर अंत्येष्टि
29.	30.11.09	221/NVHD	213214	वेतन भुगतान
30.	26.03.10	05/18.01.10	1945765	B.R.G.F
31.	31.03.10	28/NVHD 17.03.10	728554	12th F.C
32.	31.03.10	—/NVHD 25.03.10	78554	,,
33.	31.03.10.	30/NVHD	83400	नगर पार्षद भत्ता/वेतन
34.	31.03.10.	26/16.03.10	1658202	मैचिंग ग्रांट
	2010-11			
35.	14.05.10	1482/NVHD	12,00,000	सड़क निर्माण एवं जीर्णोद्धार
36.	14.05.10.	122/29.03.10	1563000	मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना
37.	17.08.10	203/10.6.10	2607033	तदैव
38.	17.08.10	467/13.07.10	8000	जनगणना
39.	29.09.10.	—	7421750	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
40	27.09.10.	—	1619190	तदैव
41.	01.11.10	1833/NVHD 09.04.11	1200000	नाला निर्माण
42.	23.12.10	—	140000	सीटी मैनेजर अनुबंध राशि
43.	12.01.11	—	3208100	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
44.	27.01.11	—	239250	जनगणना
45	27.01.11	495/27.04.10	638418	BRGF
			44443146	

(कंडिका-11 के संदर्भ में) परिशिष्ट-III (8) 17

बजट प्राक्कलन में अंकित प्राप्ति एवं व्यय मद में प्राक्कलित तथा वास्तविक राशि में अंतर की विवरणी

क्रम सं.	विवरण	2007-08 प्राक्कलित राशि	2007-08 वास्तविक राशि (प्राप्ति/व्यय)	2007-08 अंतर (% में)	2008-09 प्रा. राशि	2008-09 वास्तविक राशि	2008-09 अंतर (% में)	2009-10 प्रा. रा.	2009-10 वास्तविक राशि	2009-10 अंतर
1	हाल्दोजा एवं शिक्षा और व्यवसाय का 10%	4,40,000	95,795.00	78%	10,80,000	35338.00	96.72%	11,00,000.00	60416.00	94.5%
2	निबंधन एवं लाइसेंस शुल्क	87500	3547.25	95%	22,000	859.00	96.09%	72,000.00	—	—
3	परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व	1860550	2265190	21.75%	1882000	8,90,795.00	52.67%	14,84,000.00	—	—
4	विशेष निधियों के तहत वसूली (पुरस्कार, जमा, बकाया वसूली, निविदा, आदि)	7,97,500.00	112616.57	85%	8,22,500	105292.00	87.20%	2435500.00	—	—
5	व्यय	31133389.00 ~~3,75,46,360.00~~	43,39,084	98.6%	3,75,46,360.00	43,16,672	88.50 ~~85.50%~~	9,59,23,386.00	6478741	93.25%

समितार्थ